# संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.

**"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल**

दूरभाष–0755–2550928, 2550910 फैक्स–0755–2550912 / ई–मेलcommwcd@mp.nic.in, वेबसाइट : www.mpwcdmis.gov.in


**क्र. / मबावि / पोषण आहार / 2020–21 / 4621** **भोपाल, दिनांकः 29 / 05 / 2020**

प्रति

1. संभागीय संयुक्त संचालक,
   समस्त संभाग, मध्यप्रदेश
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी
   समस्त जिला मध्यप्रदेश
3. परियोजना अधिकारी
   समस्त परियोजना, मध्यप्रदेश

विषयः– **कोविड–19 संक्रमण काल के दौरान आंगनवाड़ी सेवा अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी के संबंध में।**

सन्दर्भः– 1. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली, का पत्र क्रमांक F. No 13/5/2020-CD-II दिनांक 16.04.2020।

2. संचालनालय का पत्र क्र. अबामि / 2020–21 / 294–295, दिनांक 21.05.2020।

---

विषय का अवलोकन करें। भारत सरकार के गृह एवं महिला बाल विकास, मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार आगंनवाड़ी सेवाओं अन्तर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की निरन्तरता को बनाये रखा गया है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है। कोविड –19 महामारी के दौरान टीकाकरण, प्रसव पूर्व जाँच, बीमार एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल आवश्यक सेवा अन्तर्गत शामिल है। इस दौरान जिलों में देश के अन्य क्षेत्रों में पलायन कर कार्यरत् परिवार अपने कार्यक्षेत्र से ग्रामों में वापस आ रहे है। आंगनवाड़ी सेवाओं को समस्त हितग्राहियों, पलायन से लौटे परिवारों के हितग्राहियों तक सजगता के साथ सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जाना है।

अतः कोविड– 19 के महामारी के दौरान ग्राम आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं समय–समय पर प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जावे।

**(स्वाति मीणा नायक)**
**संचालक**
**महिला एवं बाल विकास**
**मध्यप्रदेश**

क्र./मबावि/पोषण आहार/2020–21/4622 भोपाल, दिनांकः 29/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय आयुक्त, संभाग–समस्त मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर जिला–समस्त मध्यप्रदेश।
7. CEO जिला पंचायत जिला–समस्त, मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग– समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**संचालक**
**महिला एवं बाल विकास**
**मध्यप्रदेश**

**कोविड – 19 संक्रमण काल के दौरान दी जाने वाली सेवाएं हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।**

**पूरक पोषण आहार कार्यक्रमः–**

- संचालनालय के पत्र दिनांक 17.03.2020, 27.03.2020 एवं 04.04.2020 एवं 18.04.2020 द्वारा पूरक पोषण आहार की निरन्तरता हेतु जारी निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
- पलायन से लौटे परिवारों के हितग्राहियों को पंजीकृत कर उन्हें भी पात्रता अनुसार पूरक पोषण आहार 15–15 दिवस के अंतराल में प्रदाय किया जावे। एक बार में 15 दिवस हेतु निर्धारित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाना है।
- जिन स्थानों पर पलायन से लौटे परिवारों के क्वारीनटाइन शिविर लगे है, वहां भी पात्र हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जावे।
- सभी पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार के गृह एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं एवं 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को प्रत्येक 15 दिवस के अन्तराल में 15 12 दिवस के मान से एक बार में टी.एच.आर. अथवा स्थानीय स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार वैकल्पिक रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार दिया जावे।
- स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक पूरक पोषण आहार की तैयार करने से लेकर वितरण तक सभी स्तरों में सोशल डिस्टेसिंग, हाथों की स्वच्छता एवं चिकित्सकीय जाँच आदि निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।
- पूरक पोषण आहार संबंधित हितग्राही द्वारा सेवन किया जावे इस हेतु परिवार को आवश्यक परामर्श फोन/गृहभेंट के माध्यम से साप्ताहिक रूप से देना सुनिश्चित किया जावे।
- अति कम वजन/SAM/पोषण पुर्नवास केन्द्र से भर्ती उपरान्त वापस आये बच्चों को निर्धारित अतिरिक्त मात्रा में पूरक पोषण आहार प्रदाय करना सुनिश्चित किया जावे।
- हितग्राहियों को प्रदाय पूरक पोषण आहार वितरण की जानकारी को पंजी क्रमांक 2 एवं 3 में दर्ज की जावे तथा ICDS -CSA संबंधित जिलों में पूरक पोषण आहार प्रदाय उपरान्त मोबाईल में पूरक पोषण आहार माड्युल में जाकर जानकरी दर्ज की जावे।

**पोषण स्तर की निगरानी एवं प्रबंधन (जन्म से 05 वर्ष):–**

- बच्चों के मासिक वृद्धि निगरानी हेतु आरोग्य केन्द्र पर सामाजिक दूरी तथा हाथ एवं उपकरण की स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए वजन/लम्बाई/ऊँचाई ली जावे। इस हेतु एक दिवस में अधिकतम 4–5 बच्चों को आरोग्य केन्द्र स्तर पर बुलवाकर वृद्धि निगरानी की कार्यवाही की जावे।
- जो बच्चे पूर्व से अति गंभीर कुपोषण/अति कम वजन की श्रेणी में चिन्हित है, उनकी वृद्धि निगरानी प्राथमिकता के आधार पर पहले की जावे। इसके उपरांत पूर्व से चिन्हित मध्यम कुपोषित/कम वजन के बच्चों तथा क्रमशः सामान्य पोषण स्तर वाले बच्चों की वृद्धि निगरानी की जावे।
- पलायन से लौटे परिवारों के जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की भी अनिवार्यतः प्राथमिकता के आधार पर वृद्धि निगरानी की जावे। इन कुल बच्चो का पोषण स्तर अनुसार (कम वजन (MUW)/अति कम वजन (SUW)/मध्यम कुपोषित

(MAM)/अति गंभीर कुपोषित (SAM)/ठिगनापन (STUNTING) वर्गीकरण कर पृथक से जानकारी संधारित की जावे।

- सभी कम वजन एवं अति कम वजन के बच्चों का आशा के सहयोग से MUAC माप कर उनके मध्यम या अति गंभीर कुपोषण का निर्धारण किया जावे।
- सभी चिन्हित अति गंभीर कुपोषित बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस अथवा टीकारण दिवस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य जांच उपरान्त बच्चों के भूख की जांच स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देख–रेख में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये की जावे। तद्उपरान्त चिकित्सकीय लक्षण एवं भूख की जांच में फेल पाये गये अति गंभीर कुपोषित बच्चों के चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती हेतु रेफर किया जावे।
- शेष कम वजन/अति कम वजन/बिना चिकित्सकीय लक्षण वाले अति गंभीर कुपोपित बच्चों के परिवार को WhatsApp ग्रुप के माध्यम से एवं गृहभेंट कर बच्चे से संबंधित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदाय की जावे। गृहभेंट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क से मुँह को ढकने जैसे नियमों का पालन आवश्यक रूप से किया जावे।
- पलायन से लौटे परिवारों के हितग्राहियों के लिये पृथक WHATSAPP GROUP बनाया जावे जिससे उन्हें वांछित सेवायें दी जा सके।
- 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा जो बच्चें खड़े नही हो सकते उन बच्चों के वजन हेतु उनके माता अथवा अभिभावक का सहयोग लिया जाकर वजन किया जा सकता है।
- इस हेतु अभिभावक को अपने हाथ एवं पैर की सफाई के उपरान्त मशीन पर खड़ा करें एवं उन्हे सीधा देखने के लिये कहे, एक बार स्थिर खड़े होने पर माप को रिकार्ड कर ले एवं दुबारा उन्हे बच्चें को गोद में लेकर खड़ा करे तथा स्थिर खड़े होने पर पुनः वजन का माप रिकार्ड करे एवं पूर्व में लिये माप को इस माप के साथ घटा कर बच्चें की वास्तविक माप किया जावे।
- बच्चों के वजन एवं उनके पोषण स्तर को ग्रोथ चार्ट के अनुसार परिवार से साझा करे एवं आवश्यक परामर्श देना सुनिश्चित किया जावे।

**ग्राम में टीकाकरण सत्रों का आयोजन** :–

- ग्राम आरोग्य केन्द्र में सत्र के दौरान किसी भी समय, सत्र स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी होना चाहिए।
- टीकाकरण सत्र आयोजन हेतु पूर्व में क्वारेंटाईन सेंटर के तौर पर उपयोग किये गये स्थलों पर टीकाकरण सत्र आयोजिन ना किया जाए।
- सत्र स्थल पर लोगों को एक ही स्थान पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए समुचित योजना बनाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं आशा के सहयोग से टीकाकरण हेतु लक्षित हितग्राहियों की सूची (Due list) बना लें एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अनुसार 3 से 4 हितग्राहियों को कार्यकर्ता फोन/सूचना देकर बुलावे।
- सत्र स्थल पर आने वाले लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र से विशेष सीमा क्षेत्र, में टीकाकरण के पहले एवं बाद में प्रतीक्षा हेतु तथा एक दूसरे परस्पर दूरी कम से

- कम दो मीटर का अंतर) बनाए रखते हुए बैठने की व्यवस्था की जाना चाहिये। लाभार्थियों और देखभालकर्ताओं के जगह की पहचान सत्र आयोजन के पूर्व करें।
- टीकाकरण सत्र में आये लाभार्थी एवं देखभालकर्ता दोनों द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से पहने एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा भी मास्क लगाकर ही हितग्राहियों की मदद करे।
- टीकाकरण सत्र के दौरान ग्राम आरोग्य केन्द्र पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये जिससें हितग्राही एवं देखभालकर्ता केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अपने हाथों की सफाई कर सके।
- बच्चों के टीकाकरण के अतिरिक्त एनीमिया की जाँच भी की जाये। इस हेतु ए.एन.एम के पास उपलब्ध WHO कलर स्ट्रिप का उपयोग किया जावे।
- गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में शत–प्रतिशत शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित करें। प्रसव पूर्व जाँच की अन्य सेवाओं के साथ–साथ प्रत्येक बार खून की कमी की जाँच ए.एन.एम के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जावे।
- गर्भवती महिलाओं को आयरन (180 गोलियां) एवं कैल्शियम (360 गोलियां) की गोलियों की प्रदायगी सुनिश्चित करते हुए सेवन की निगरानी करना, एवं महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना।
- पलायन से लौटे परिवारों की गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित किया जावे एवं टीकाकरण एवं खून की कमी की जाँच सुनिश्चित की जावे। इस हेतु पृथक से जानकारी संधारित की जावे।
- पलायन से लौटे परिवारों की गर्भवती महिलाओं को आयरन(180 गोलियां) एवं कैल्शियम (360 गोलियां) की गोलियों की प्रदायगी करना एवं निगरानी करना।
- पलायन से लौटे परिवारों के बच्चों का टीकाकरण एवं खून की कमी की जाँच भी सुनिश्चित करावें व पृथक से जानकारी संधारित करें।

**सन्दर्भ सेवा/रेफरल :–**

- चिकित्सकीय जटिलता वाले SAM बच्चों को उनके चिकित्सकीय प्रबन्धन हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र आथवा पोषण पुर्नवास केन्द्र रेफर किया जाना चाहिये।
- अंतिम त्रैमास वाली गर्भवती महिलाओं के सतत् सम्पर्क मे रहते हुये उन्हें समय से नजदीकी प्रसव केन्द्र रेफर करने में आशा को सहयोग करना।
- हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं के परिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल ले जाने हेतु सहयोग करना।
- लगातार दस्त होने, सर्दी खांसी अथवा बुखार आदि के लक्षण हाने पर बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करते हुये स्वास्थ्य केन्द्र रेफर करना।
- पलायन से वापस आये परिवारों/क्वारीनटाइन सेंटर से लौटे परिवारों की साप्ताहिक निगरानी की जावे एवं लक्षणों के अनुसार रेफर किया जावे एवं पलायन से लौटे परिवारों के हितग्राहियों के रेफर के संबंध में जानकारी पृथक से संधारित की जावे।

**अन्य स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की निगरानी :–**

- सेक्टर पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाये गये WhatsApp ग्रुप मे शामिल रहते हुये उन्हे मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगी।
- पर्यवेक्षकों द्वारा उनके क्षेत्र के सभी कुपोषित बच्चों के परिवार एवं उनसे संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल कर WhatsApp ग्रुप बनाया जावे एवं प्रत्येक

कुपोषित बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जाये। पर्यवेक्षक अपने WhatsApp ग्रुप में संबधित NRC के संबंधित Feeding demonstrator एवं परियोजना अधिकारियों को भी शामिल करें।

- 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों हेतु **वाट्सएप (WhatsApp)** ग्रुप के माध्यम से ऊपरी आहार समय से प्रारम्भ करने के महत्व के बारे में बताना। विशेषकर 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाने वाले ऊपरी आहार की मात्रा, बारम्बारता एवं खाद्य विविधता हेतु परामर्श दिया जावे ।
- ऐसे परिवार जहाँ माह के दौरान अन्नप्राशन कराया गया है, उन परिवारों से सप्ताह में एक से दो बार फोन पर अथवा ग्रुप के माध्यम से बच्चे द्वारा खाये गये आहार की मात्रा, बारम्बरता आदि की जानकारी लेना एवं आवश्यकता अनुसार परामर्श प्रदान करना। बच्चों के ऊपरी आहार संबंधी परिवार के शंकाओं का समाधान करना।
- बच्चे को आहार में क्या–क्या और कितनी बार खिलाया जाना है तथा बच्चे को आहार खिलाते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में नियमित जानकारी प्रदाय करना।
- आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण के दौरान **6 माह से 59 माह** के बच्चों को **साप्ताहिक आई.एफ.ए सीरप** (एम.एल सप्ताह में दो बार मंगलवार एवं शुक्रवार) का अनुपूरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 5 से 10 वर्ष बच्चों को **पिंक आयरन गोली एवं 10 से 19 वर्षीय बच्चों को नीली आयरन गोली** सप्ताह में 1 बार प्रदाय तथा **10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों** को प्रदायित **मल्टीविटामिन गोलियों सेवन** की जानकारी ली जावे।
- किशोरियों को आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी परामर्श दिया जावे एवं इस संबंध में उपलब्ध सन्दर्भ सामग्री भी उन्हें प्रदान की जावे।

**<u>गृहभेंट एवं पोषण–स्वास्थ्य शिक्षा</u>** :–

- संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक मबावि/आईसीडीएएस/2020–21/4525 दिनांक 11.05.2020 को जारी पत्र अनुसार सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों के WhatsApp ग्रुप बनाये एवं उन्हे आवश्यकता अनुसार परामर्श व उनके पोषण व स्वास्थ्य कर सतत् निगरानी किया जाना है।
- इस हेतु प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा निम्न WhatsApp ग्रुप बनाया जावे:–
    - गर्भवती महिलाओं हेतु
    - धात्री माताओं हेतु
    - 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु
    - 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु
    - 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं हेतु
- गृहभेंट हेतु प्राथमिकता वाले हितग्राहियों निम्नानुसार संभावित हो सकते है :–
    - अंतिम त्रैमास वाली गर्भवती महिला
    - प्रसव उपरान्त वापस आयी धात्री माता एवं शिशु
    - केवल स्तनपान करने वाले बच्चों की माता
    - छः माह पूर्ण करने वाले बच्चे जिन्हे ऊपरी आहार शुरू करवाया जाना है/करवाया गया है।
    - कुपोषित बच्चें, पोषण पुनर्वास केन्द्र से वापस आये बच्चें, CSAM कार्यक्रम में नामांकित बच्चें,

- अन्य बीमारियों से संक्रमित बच्चें एवं उनका परिवार

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गृहभेंट की कार्य योजना तैयार कर एक दिवस में 3 से 4 परिवारों के सम्पर्क कर उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श दिया जावे।
- विभाग द्वारा प्रदत्त IEC एवं प्रचार प्रसार सामग्रियों का उपयोग परामर्श हेतु किया जावे।
- यदि आवश्यकता होने पर कार्यकर्ता को माता अथवा शिशु के नजदीकी सम्पर्क में आना हो तो सावधानी रखते हुये एवं मास्क पहन कर ही सम्पर्क में आये एवं उसके तुरन्त बाद अपने घर पहुँच कर नहाकर कपड़ो को बदल लेने आदि के बाद ही अपने परिवार के सम्पर्क में आये।

**समीक्षा एवं निगरानी :–**

- संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपरोक्त गतिविधियों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करेंगें व इसका पाक्षिक प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित करेंगें।
    - पर्यवेक्षक द्वारा माह की 15 एवं 30 तारीख को परियोजना अधिकारी को प्रतिवेदन किया जायेगा।
    - परियोजना अधिकारी द्वारा माह की 18 एवं 03 तारीख को जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रतिवेदन किया जायेगा।
    - जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा माह की 20 एवं 05 तारीख को संभागीय संयुक्त संचालक को प्रतिवेदन किया जायेगा।
    - संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा माह की 22 एवं 07 तारीख को संचालनालय को प्रतिवेदन किया जायेगा।

**संयुक्त संचालक**
**महिला एवं बाल विकास,**
**मध्यप्रदेश**